प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/ 2685-75 दिनांकः 16 .08.2021

विषयः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य व पोषण दिवस आयोजन हेतु दिशा निर्देश।

जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की शहरी जनसंख्या 4.44 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 22 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में विशेषकर मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापरक निशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2013–14 में प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का शुभारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक शहरी जनसंख्या वाले कुल 131 शहरों/कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया जा रहा है। प्रत्येक 50,000 की शहरी जनसंख्या पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश मे 610 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के अन्तर्गत प्रत्येक 10000 की शहरी आबादी पर एक ए.एन.एम. की तैनाती का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा अपने आच्छादन क्षेत्र में कम से कम 04 शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस किये जाने हैं। शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस प्रथम पंक्ति की तीनों कार्यकत्रियों आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं ए0एन0एम0 को एक साझा मंच प्रदान करती है, जिसके द्वारा मॉ और बच्चे को स्वास्थ्य एवं पोषण सन्बन्धी सुविधाये तथा समुदाय को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाए (Comprehensive Primary Health Care Services) प्रदान की जा रही हैं। इस वर्ष जनपद स्तर पर आंवटित धनराशि मदवार उपलब्ध करायी जा रही है अतः सम्बन्धित मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही धनराशि व्यय की जा सकेगी।

शहरी स्वास्थ्य व पोषण दिवस के उददेश्य

1. समुदाय को प्रत्येक माह के एक निश्चित दिन पर स्वास्थ्य एवं पोषण तथा व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधित गुणवत्तापरक सेवाएं उपलब्ध करना।
2. **शहरी स्वास्थ्य व पोषण दिवस में उपलब्ध** सेवाओं के सन्दर्भ में जनसमुदाय को जागरुक करना एवं उन्हें इन सेवाओं को प्राप्त कराने में सहयोग प्रदान करना।

लक्षित समूह– शहरी स्वास्थ्य व पोषण दिवस में प्रमुखतः: निम्न लक्ष्य समूह को स्वास्थ्य सेवाये उपलब्ध करायी जायेगीं ––

- गर्भवती महिला
- 0–5 वर्ष के बच्चे
- परिवार नियोजन हेतु पात्र दम्पत्ति
- 10–19 वर्ष के किशोर–किशोरी
- 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर प्रदान की जाने वाली सेवायें––

शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन समुदाय के विभिन्न लक्ष्य समूहो को उनकी आवश्यकतानुसार निम्नाकित सेवायें प्रदान की जानी है–

1. गर्भवती महिला

1.1 गर्भावस्था की शीघ्र पहचान,पंजीकरण व मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड जारी करना एवं उसे अद्यतन करना

1.2 प्रसवपूर्व जांच–

क. रक्तचाप मापना– **सामान्य अवस्था मे रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। 140/90 से बढ़ा हुआ रक्तचाप खतरे की निशानी है।**

ख. हीमोग्लोबिन की जॉच– गर्भावस्था मे सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर 11ग्राम/डीएल। 7 ग्राम/डीएल– गंभीर खून की कमी

ग. प्रोटीन व शर्करा हेतु मूत्र जांच

घ. पेट की जांच

ड. वजन मापना

1.3 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का प्रबंधन और संदर्भन (प्रोटोकाल के अनुसार)

1.4 आई.एफ.ए. की गोलियो का वितरण– सामान्य हीमोग्लोबिन के स्तर ≥ 11 gm/dl पर 01 आई0एफ0ए0 की गोली प्रतिदिन के अनुसार।

<11 gm/dl पर– खून की कमी की स्थिति मे– 02 आई0एफ0ए0 की गोली प्रतिदिन के अनुसार।

1.5 कैल्शियम की गोलियो का वितरण– 02 कैल्शियम की गोली प्रतिदिन के अनुसार।

1.6 टेक होम राशन दिलाना (उस सप्ताह हेतु राशन का वितरण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर किया जाए)

1.7 दूसरी तिमाही मे एलबेन्डाजोल गोली खिलाना। अनुमानित प्रसव तिथि का आंकलन करना

1.8 टिटनेस का पहला टीका गर्भावस्था का पता चलने के तुरंत बाद एवं रजिस्ट्रेशन के समय तथा दूसरा टीका एक माह पश्चात।

1.9 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों का चिन्हिकरण।

1.10 सामूहिक/व्यक्तिगत परामर्श निम्न बिन्दुओं पर प्रदान किया जाएगा –

- शीघ्र पंजीकरण एवं चार प्रसवपूर्व जांचों के फायदे
- कम से कम एक प्रसवपूर्व जाच स्वास्थ्य इकाई पर करवाने हेतु प्रेरित करना
- प्रसव योजना (संस्थागत प्रसव के महत्व एवं लाभ को जानकारी देते हुए प्रोत्साहित करना)
- जननी सुरक्षा योजना तथा जननी एवं शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लाभ संबंधी जानकारी देना।
- 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा
- गर्भावस्था के दौरान होने वाली सामान्य जटिलताएं एवं प्रबंधन
- गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण
- रक्तलप्ता के लक्षण– बचाव और रोकथाम
- गर्भावस्था के दौरान पोषण और आराम
- आई.एफ.ए. व कैल्शियम की गोलियों के सेवन का महत्व
- स्तनपान की शीघ्र शुरूआत एवं छः माह तक केवल स्तनपान
- परिवार नियोजन की विधियां विशेषतः पी.पी.आई.यू.सी.डी.
- प्रारम्भिक आवश्यक नवजात देखंभाल (शिशु को गर्म रखना, स्नान कराने का उचित समय, नाल की देखभाल)
- प्रसव उपरान्त 42 दिनों तक माँ एवं नवजात शिशु की देखभाल

1.11 निम्न तालिका के अनुसार कम से कम चार प्रसवपूर्व जांचे–

पहली ए.एन.सी. जांच ⟹ पहली माहवारी छूटते ही या एल.एम.पी. से तीन माह के भीतर

दूसरी ए.एन.सी. जांच ⟹ गर्भावस्था के चौथे से छठे महीने मे

तीसरी ए.एन.सी. जांच ⟹ गर्भावस्था के सातवें से आठवे महीने मे

चौथी ए.एन.सी. जांच ⟹ गर्भावस्था के नौवे महीने मे

2. पाँच वर्ष तक के बच्चे

2.1 टीकाकरण– बी.सी.जी., हिपेटाइटिस बी., ओ.पी.वी, पेन्टावैलेन्ट, रोटावायरस, एफ.आईपी.वी, पी.सी.वी (चयनित जनपदो मे), मीजिल्स/एम.आर. जे.ई., विटामिन ए, डी.पी.टी बूस्टर

- इस हेतु आशा कार्यकत्री अपने यू.एच.आई.आर मे अंकित उसके आच्छादान क्षेत्र के परिवारो की सभी गर्भवती महिलाआ जिनको टीका लगना हैं, 0–5 वर्ष के बच्चे तथा किशोरियों के नाम लिखेगी तथा उन्हे सत्र स्थल पर लेकर आयेगी।
- आशा अगले सत्र लभार्थियो की सूची बनाने के लिए टीकाकरण के पश्चात अगली बार लाभार्थी को कब दूसरा टीका लगवाने आना है इसकी सूची ए.एन.एम के आर.सी.एच. रजिस्टर से बनवायेगी।

2.2 टीकाकरण के पश्चात लाभार्थी/अभिभावक को दिये जाने वाले चार संदेश.

- कौन सा टीका दिया गया और यह किस बीमारी से बचाव करता है।
- टीकाकरण के पश्चात कौन से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते है और उनसे कैसे निपटा जाये।
- अगले टीके के लिए बच्चे को कब और कहां लेकर आयें।
- टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें और अगली बार उसे अपने साथ अवश्य लायें।

2.3 बच्चो मे होने वाले डायरिया का प्रोटोकाल के अनुसार बचाव व प्रबंधन।

2.4 बच्चो मे होने वाले निमोनिया का प्रोटोकाल के अनुसार बचाव व प्रबंधन।

2.5 जिंक की खुराक–

आयु	जिंक की खुराक	अवधि
2–6 माह	1/2 गोली 10 मि.ग्रा. प्रतिदिन	14 दिनो तक
6 माह– 5 वर्ष	1 गोली 20 मि.ग्रा. प्रतिदिन	14 दनो तक

2.6 कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण व संदर्भन

क–बच्चों का वजन लेना और मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड वृद्धि चार्ट में अंकित करना

ख–आशा द्वारा एम.यू.ए.सी (MUAC) टेप से गंभीर अतिकुपोषित बच्चो का चिन्हीकरण व आर.बी.एस.के. क्लीनिक पर संदर्भन। जांच के पश्चात अति कुपोषित बच्चो का पोषण पुर्नवास केन्द्र अथवा चिकित्सा इकाई पर संदर्भन।

2.7 01– 05 वर्ष के सभी बच्चो को कृमीनाशक देना (प्रोटोकॉल के अनुसार)

2.8 07 माह से 03 वर्ष तक के बच्चो को अनूपूरक पोषाहार वितरित करना।

2.9 माता पिता की सामूहिक एवं व्यक्तिगत परामर्श निम्न बिन्दुओं पर सुनिश्चित किया जाएगा –

- पूर्ण टीकाकरण सारणी और कोई भी टीका न छूटने का महत्व
- नवजात शिशु की नियमित देखभाल
- केवल स्तनपान (प्रसव के छः माह में)
- समयानुसार ऊपरी आहार
- हाथ की सफाई
- साल तक स्तनपान जारी रखना
- प्रसव के पश्चात् माँ एवं बच्चों में उत्पन्न होने वाले खतरे के लक्षण
- बीमार व कमजोर नवजात शिशुओं के लिए कंगारू मदर केयर
- दस्त और निमोनिया की पहचान और उपचार
- बच्चों में उचित अंतराल और सीमित बच्चों के लिए परिवार नियोजन के साधन
- व्यक्तिगत साफ–सफाई
- सुरक्षित पेयजल

3. **लक्ष्य दम्पत्ति** (ऐसे दम्पत्ति जिसमें पत्नी की उम्र 15 से 49 वर्ष हो)
   - कण्डोम, गर्भनिरोधक गोलियां और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, आशा के माध्यम से उपलब्ध कराना।
   - कापर टी, अन्तरा एवं महिला तथा पुरुष नसबन्दी हेतु प्रेरित करना एवं सन्दर्भन।
   - परिवार नियोजन और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराने वाली इकाईयां के सन्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराना।
   - परिवार नियोजन अपनाने हेतु अनुमन्य प्रोत्साहन राशि
   - PCPNDT - प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण न कराने हेतु सलाह तथा इससे जुड़े हुए नियम व जुर्माना/सजा के बारे मे जानकारी,
   - एच.आई.वी./एड्स, आर.टी.आई. और एस.टी.आई.

4. **किशोरी बालिकाएं (10–19 वर्ष)**
   - 4.1 टी.टी. के टीके
   - 4.2 एल्बेन्डाजोल
   - 4.3 सैनिटेरी नैपकीन का सामाजिक विपणन(Social marketing)
   - 4.5 सामुहिक एवं व्यक्तिगत परामर्श–
     - मासिक धर्म के दौरान साफ–सफाई
     - साप्ताहिक आई.एफ.ए. सम्पूरण
     - विवाह की सही उम्र
     - किशोरावस्था के दौरान शारीरिक व मानसिक परिवर्तन
     - एच.आई.वी.एड्स और एस.टी.आई.
     - ए.आर.एस.एच. क्लीनिक (ARSH Clinic)

5. **30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति–**
   - 5.1 उक्त रक्तचाप, मधुमेह (प्रतिवर्ष) एवं सामान्य कैन्सर (प्रत्येक 05 वर्ष) हेतु स्क्रीनिंग व संदर्भन।
   - 5.2 स्वस्थ्य जीवन शैली के सन्बन्ध में जानकारी एवं सलाह।

6. **अन्य सेवाए**
   - 6.1 जन्म मृत्यु सूचना, संक्रामक रोग सूचना
   - 6.2 रॅफरल सेवाये
   - 6.3 फालोअप सेवाए
   - 6.7 मामूली बीमारी जैसे, कटे,फोड़े, प्राथमिक चिकित्सा वाले रोगियो का लक्षणात्मक उपचार।

शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु कार्ययोजना– नियमित टीकाकरण की सूक्ष्म कार्ययोजना के अनुसार संबंधित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ए.एन.एम. अपने कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु कार्ययोजना तैयार करेंगी। कार्ययोजना में निम्न को सुनिश्चित किया जाये।

- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी मोहल्लो एवं स्लम की सूची बनाई जानी चाहिए।
- सभी मोहल्लो एवं स्लम के प्रत्येक व्यक्ति की गणना करने के बाद सूची में कुल वास्तविक जनसंख्या दिखाई जानी चाहिए।
- प्रत्येक ए.एन.एम. के क्षेत्र को इस प्रकार विभाजित किया जाय कि आच्छादित क्षेत्र के सभी लाभार्थी शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के स्थान पर आसानी से पहुॅच सकें।
- शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस ऐसे स्थान पर आयोजित किया जाना चाहिए जो क्षेत्र के मध्य में स्थित हो। साथ ही जहाँ शौचालय, प्रतीक्षा करने हेतु स्थान, जांच/परामर्श देने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो और टीकाकरण के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो। उपर्युक्त घटकों को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आंगनवाड़ी केन्द्र पर, किसी सामुदायिक स्थान पर या किसी के निजी भवन में आयोजित किया जाना चाहिए। समुचित स्थान का चयन उस क्षेत्र की आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, महिला

आरोग्य समीति के सदस्यों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से सामूहिक रूप से परामर्श करके निर्धारित किया जा सकता है। आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा सहमति प्राप्त करने के पश्चात ए.एन.एम. अपनी सूक्ष्म कार्ययोजना में चयनित स्थल को अंकित करना सुनिश्चित करें।

- शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस प्रत्येक बुधवार और शनिवार को आयोजित किया जाना है। अगर कार्ययोजना के अनुसार एक माह में 8 से ज्यादा सत्रों की आवश्यकता हो तो छूटे हुए क्षेत्रों को आच्छादित करने हेतु किसी अतिरिक्त दिन का निर्धारण किया जाए। प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन प्रातः 9 बजे से शुरू होकर सांय 4 बजे तक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस उन क्षेत्रो मे आयोजित किया जाना चाहिए जो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूरी पर स्थित हो तथा जहां वंचित समुदाय निवास करता हो एवं कम आच्छादन और उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हों।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्लम क्षेत्रों को शामिल किया जाए।
- शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सूक्ष्म कार्ययोजना में पोलियो कार्यक्रम की कार्य योजना से मदद ली जा सकती है।
- अगर किसी क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के अंतर्गत प्रस्तावित लक्षित लाभार्थी पूरी तरह से आच्छादित नहीं होते है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सत्रों की योजना बनाई जा सकती है।
- कार्ययोजना की प्रति जनपद/मण्डल/राज्य स्तर पर उपलब्ध करायी जाये जिससे नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जा सके।
- अगर किन्हीं अप्रत्याशित कारणो की वजह से शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पहले से नियोजित दिन पर न हो पाए तो ऐसी परिस्थिति में इसका आयोजन सम्भवतः अगले दिन या किसी भी नजदीकी सम्भावित दिन पर करना सुनिश्चित किया जाए एवं इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की जाय।
- मोहल्लावार/स्लमवार लाभार्थी (गर्भवती महिला व नवजात शिशु) की वार्षिक संख्या का आंकलन वास्तविक हेड काउन्ट के आधार पर करके लिखें।
- वैक्सीन एवं समस्त लाजिस्टिक के मांग पत्र तैयार करने हेतु कुल मासिक लाभार्थी की गणना करें एवं सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/कोल्ड चेन प्वाइंट से मांग पत्र प्रस्तुत करें।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कार्ययोजना (रोस्टर) बनाकर सम्बन्धित मोहल्लो एवं स्लम के नाम वहां आयोजित होने वाले सत्रों का दिन लिखें।

शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कार्ययोजना (रोस्टर)

दिवस	ए.एन.एम.–1	ए.एन.एम.–2	ए.एन.एम.–3	ए.एन.एम.–4	ए.एन.एम.–5
प्रथम बुद्धवार	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	क्षेत्र मे	क्षेत्र मे
प्रथम शनिवार	क्षेत्र में	क्षेत्र में	क्षेत्र में	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर
द्वितीय बुद्धवार	क्षेत्र में	क्षेत्र में	क्षेत्र में	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर
द्वितीय शनिवार	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	क्षेत्र में	क्षेत्र में
तृतीय बुद्धवार	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	क्षेत्र में	क्षेत्र में
तृतीय शनिवार	क्षेत्र में	क्षेत्र में	क्षेत्र में	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर
चतुर्थ बुद्धवार	क्षेत्र में	क्षेत्र में	क्षेत्र में	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर
चतुर्थ शनिवार	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	यू.पी.एच.सी. पर	क्षेत्र में	क्षेत्र में
पंचम बुद्धवार	बुद्धवार एवं शनिवार को अवकाश या अन्य कारणों से छूटे हुये यू.एच.एन.डी. को सम्बन्धित ए. एन.एम. द्वारा पूर्ण किया जाय।				
पंचम शनिवार					

सत्रों की संख्या का आंकलन–

मोहल्ले/स्लम में सत्रों की संख्या का आंकलन इंजेक्शन की संख्या/लोड के आधार पर ही होगा।	
आउटरीच सत्रों के लिये मानकः	
25 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति दो माह
25 से 50 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति माह
50 इंजेक्शन से अधिक	दो सत्र प्रति माह

फिक्स्ड स्थल (पी०एच०सी/सी०एच०सी०) पर सत्रों के लिये मानकः	
40 इंजेक्शन से कम	एक सत्र प्रति दो माह
40 से 70 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति माह
70 इंजेक्शन से अधिक	दो सत्र प्रति माह

शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन :

- टीकाकारण सत्र कार्ययोजना के अनुसार आयोजित किए जाएं। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सत्र स्थल पर वैक्सीन की उपलब्धता उक्त दिवस के ड्यू लिस्ट के अनुसार सुनिश्चित की जाए।
- वैक्सीन के साथ उपलब्ध कराए गए डाइल्यूएंट का ही इस्तेमाल करें तथा प्रत्येक वायल में डाइल्यूएंट मिलाने के लिए अलग–अलग सिरिंज का इस्तेमाल करें।
- प्रत्येक माह के आखिरी सप्ताह में छूटे हुए सत्रों की अलग से कार्य योजना बनाते हुए टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।
- टीकाकर्मी को बच्चे के टीकाकारण से पहले साथ में आये अभिभावक को सम्पूर्ण जानकारी देनी है, तत्पश्चात् वैक्सीन दी जानी है तथा टीकाकरण के पश्चात् लाभार्थी को किसी भी तरह की प्रतिकूल घटना (AEFI) होने पर तत्काल प्रभारी चिकित्साधिकारी को तत्काल सूचित किया जाना है।
- आशा/सोशल मोबाइलजर द्वारा क्षेत्र में समुचित प्रचार प्रसार कराया जाये। इस हेतु महिला आरोग्य समिति के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, धर्म गुरुओं आदि का भी सहयोग प्राप्त किया जाय।

स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु सम्भावित समय और महत्वपूर्ण गतिविधियां

समय	सम्भावित गतिविधि
सुबह 9 बजे से 12 बजे तक	टीकाकरण
12 बजे से 4 बजे तक	प्रसवपूर्व जांच/देखभाल, बच्चों का वजन, प्रसवपूर्व व पश्चात परामर्श और अन्य सभी गतिविधियां

अगर कोई भी लाभार्थी प्रस्तावित समय पर सेवा लेने न आकर दूसरे समय पर आता है तो भी उसे सेंवा देने से किसी भी परिस्थिति में मना न किया जाए।

शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्रियां व अभिलेख–

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ए.एन.एम. 'स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस' की योजना और आयोजन हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन और पर्यवेक्षण महिला आरोग्य समिति की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा रिक्त ए.एन.एम. के क्षेत्र की जिम्मेदारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध अन्य ए.एन.एम . को दिया जाना चाहिए और ऐसे ए.एन.एम. क्षेत्रो की सूक्ष्म कार्ययोजना बनवाना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान निम्न सामग्री व उपकरण की व्यवस्था संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी–

लॉजिस्टिक प्रबंधन	उपकरण		आवश्यक औषधि/टीके और सामग्रियां	अभिलेख
	गर्भवती महिलाओ हेतु	बच्चो हेतु		
1. प्रतीक्षा करने का स्थान व चटाई 2. उपकरण, टीके और रिकार्ड रखने के लिए मेज 3. स्वास्थ्य कायकर्ता और माँ /बच्चे के लिए कुर्सियां 4. प्रसवपूर्व जांच के लिए जांच टेबल 5. एकांत करने के लिए पर्दा/बेड स्क्रीन 6. हाथ धोने की सुविधा सहित शौचालय 7. साफ पेयजल	1. वजन मशीन 2. बी.पी. उपकरण 3. स्टेथोस्कोप 4. थर्मामीटर 5. हीमोग्लोबिन मीटर साथ में N/10 घोल या हीमोग्लोबिन स्ट्रिप डिस्पोजेबल लैन्सेट के साथ 6. यूरीस्टिक्स 7. मूत्र एकत्रित के लिए कप 8. निश्चय किट 9. डिस्पोजेबल दस्ताने 10. डिजिटल घड़ी	1. शिशुओं का वजन लेने के लिए वजन मशीन 2. ऊपरी भुजा के मध्य भाग को मापने का टेप (MUAC Tape) 3. हब कटर	1. बी.सी.जी., डी.पी.टी. पोलियों, हिपेटाइटिस बी., खसरा और जे.ई. (डाइल्युएन्ट के साथ) 2. विटामिन ए बोतल 3. डिस्पोजेबल और ए.डी. सिरिंज 4. आई.एफ.ए. गोलियां और सिरप 5. ओ.आर.एस./जिंक 6. पैरासिटामॉल 7. जेंटामाईसिन इंजेक्शन 8. एमोक्सीसिलिन सिरप 9. सबुन 10. अल्बेंडाजोल 11. गर्भनिरोधक गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां और कंडोम 12. रूई 13. वैक्सीन् कैरियर साथ में 4 आईस पैक 14. काली और लाल पॉलिथिन बैग 15. एम.सी.पी. कार्ड 16. वृद्धि चार्ट 17. बैनर एवं आई.ई.सी. सामग्री	1. आर.सी.एच. रजिस्टर 2. शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर/आशा डायरी 3. आंगनवाड़ी रजिस्टर (प्रसवपूर्व जांच रजिस्टर/टीकाकरण रजिस्टर)

भूमिका एवं दायित्व.–" शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस' के लिए विभिन्न स्तर के सम्बन्धित पदाधिकारियों का योजना बनाने, आयोजन करने एवं अनुश्रवण हेतु भूमिका एवं दायित्व निम्नलिखित है–

ए.एन.एम.

• स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु योजना बनाना, आयोजन कराना एवं रिपोर्टिंग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एएनएम की होगी। इस हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे अनमोल ऐप का उपयोग किया जायं।

• आशा एवं आंगनवाड़ी से चर्चा कर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सूक्ष्म कार्ययोजना बनाना जिससे कि ए. एन.एम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र विशेष रूप से असेवित क्षेत्र, उच्च जोखिम वाले, पिछड़ी आबादी वाले क्षेत्र का आच्छादन हो सके। स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर दवाएं, वैक्सीन, प्रचार–प्रसार सामग्री, अभिलेख, उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

• स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर दी जाने वाली समस्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

• विभिन्न सेवाएं जैसे – प्रसव पूर्व जाँच, टीकाकरण, परामर्श हेतु लाभार्थी सूची आशा एवं आगंनवाड़ी की मदद से तैयार करना।

• लाभार्थियों को स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर लाने हेतु आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्री को निर्देशित करना।

• सत्र के समापन पर आर.सी.एच. रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों का अद्यतन कर आशा एवं आंगनवाड़ी को आंकड़ें उपलब्ध कराना।

• सेवाओं के आच्छादन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय आशा एवं आंगनवाड़ी का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।

• आशा, आंगनवाड़ी तथा महिला आरोग्य समिति के सदस्यों के साथ प्रतिरोध वाले घरों का भ्रमण करना एवं उनको स्वास्थ्य एवं पोषण स्थल पर आने के लिए प्रेरित करना।

• क्षेत्र में किसी प्रकार की बीमारी/महामारी एवं मृत्यु की सूचना एकत्रित कर रिपोर्ट करना।

• समुदाय में शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु की सूचना एकत्रित कर रिपोर्ट प्रेषित करना।

आशा–

• शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका/आशा डायरी के आधार पर गर्भवती महिलाओं, 0–2 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, योग्य दम्पत्तियों तथा 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिनको स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान सेवाएं दी जानी हैं, उनकी सूची तैयार करना। लाभार्थी सूची के आधार पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से पूर्व विशेषकर उन घरों का दौरा करना, जिनके छूट जाने की सम्भावना अधिक हो तथा जहां असेवित वर्ग निवास करता हो।

• लाभार्थी सूची के आधार पर लाभार्थियों को प्रेरित कर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस स्थल पर एकत्रित करना।

• स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के समापन पर प्रदान दी गई सेवाओं के आधार पर शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका का अद्यतन करना।

आंगनवाड़ी कार्यकत्री–

• सप्ताह का टेक होम राशन स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर वितरित करना।

• अभिलेखों को अद्यतन करना।

• 0–1 वर्ष तथा 1–5 वर्ष के बच्चों की सूची बनाना एवं अद्यतन करना।

• समुदाय को स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर सेवाएं लेने हेतु प्रेरित करना विशेषतः ऐसे क्षेत्र जहां आशा का पद रिक्त है।

• स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर पूर्व में चिन्हित किए गए कुपोषित बच्चों का वजन अवश्य लिया जाना तथा वजन में बढ़ोत्तरी/घटन की पहचान कर आवश्यक परामर्श देना।

महिला आरोग्य समिति–

• स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस स्थल पर साफ सफाई, स्थानीय संसाधन जैसे कुर्सी, मेज, दरी, चटाई, पीने का पानी उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

• स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सुव्यवस्थित आयोजन में सहयोग करना।

• सभी लाभार्थियों का स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर सेवाएं लेने हेतु भागीदारी सुनिश्चित करने में सहयोग करना।

• स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से पूर्व प्रचार–प्रसार करना।

• स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में दी जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं में कमी को चिन्हित कर स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना एवं फालो अप करना।

• क्षेत्र में आयोजित होने वाले समस्त शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के आयोजन एवं क्रियान्वयन में सहयोग करना।

सिटी कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर–

• स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस कार्ययोजना बनवाने मे प्रभारी चिकित्साधिकारी का सहयोग करना।

• स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का नियमित भ्रमण करना, कमियों की पहचान करना तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

• सत्र स्थल की उपलब्धता व व्यवस्था हेतु संबंधित विभागो से समन्वय करना।

सत्र स्थल पर आवश्यक सामग्री, उपकरणों तथा औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने मे सहयोग करना।

निर्धारित प्रारुप/वी.एच.एन.डी. एप्लीकेशन पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।

प्रभारी चिकित्साधिकारी

• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र के अन्तर्गत सभी ए.एन.एम. के द्वारा आयोजित की जाने वाली स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु कार्ययोजना तैयार कराना एवं यह सुनिश्चित करना की क्षेत्र छुट न रहा हो।

- आगंनवाड़ी केन्द्र व आगंनवाड़ी कार्यकत्री की उपलब्धता हेतु सी0डी0पी0ओ0 व आई0सी0डी0एस0 सुपरवाईजर के साथ समन्वय करना।
- सामुदायिक केन्द्रो व अन्य स्थान की उपलब्धता, सफाई व स्वच्छता तथा सुरक्षा के लिए स्थनीय निकाय प्रतिनिधियो के साथ समन्वय करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में दी जाने वाली सेवाओं हेतु ए.एन.एम व आशा के आवश्यक ज्ञान व कौशल के स्तर का आंकलन करना तथा गैप के आधार पर समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सूक्ष्म कार्य योजना की नियमित समीक्षा करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का नियमित भ्रमण करना, कमियों की पहचान करना तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- आवश्यक सामग्री, उपकरणों तथा औषधि की उपलब्धता सुनिशिचित करना।
- मासिक आख्या की समीक्षा कर सम्बन्धित कर्मचारियों को फीडबैक देना तथा सुधार करवाना।
- निर्धारित प्रारुप/वी.एच.एन.डी. एप्लीकेशन के अनुसार स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।

नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम)

- सूक्ष्म कार्ययोजना की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करना कि कार्य योजना में कोई भी क्षेत्र, या आबादी छूटे न हों।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सूक्ष्म कार्य योजना राज्य स्तर पर साझा करना।
- सभी सत्रों हेतु फण्ड की उपलब्धता एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमित समीक्षा करना।
- शहरी क्षेत्रो में आयोजित होने वाली सत्रों पर नियमित भ्रमण कर अनुश्रवण करना तथा सहयोग प्रदान करना।
- प्रभारी चिकित्साधिकारियों के साथ विशिष्ट सूचकांक पर सभी सत्रों की समीक्षा करना।

- **वित्तीय व्यवस्था**– यू.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु रु0 250/– प्रति यू.एच.एन.डी. की दर से धनराशि आंवटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग ए.एन.एम. द्वारा यू.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु व्यवस्था जैसे– लाभार्थियों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, प्रचार प्रसार एवं अन्य में किया जायेगा। ए.एन.एम. द्वारा यू.एच.एन.डी. के आयोजनोपरान्त बिल प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत बिल को प्रभारी चिकित्साधिकारी से प्रमाणित करने पर धनराशि उसके खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।
- **अनुश्रवण**– प्रभारी चिकित्साधिकारी, अरबन हेल्थ कोऑडिनेटर, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट एवं अन्य के द्वारा जनपदों में उपलब्ध प्रपत्र पर प्रत्येक यू.एच.एन.डी. दिवस पर कम से कम 02 यू.एच.एन.डी. का अनुश्रवण किया जायेगा। पर्यवेक्षण हेतु संलग्नक 01 पर दिये गये प्रपत्र का उपयोग किया जायेगा।

अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टिंग

- प्रत्येक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में दी गईं सेवाओं को संलग्नक 2 में उपलब्ध कराई गई टैली शीट के अनुसार तीन प्रतियों में अंकित किया जाएगा। एक प्रति स्थानीय आशा/आंगनवाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध कराया जाए। दूसरी प्रति उसी दिन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को (वापस किए हुए वैक्सीन कैरियर एवं अन्य सामग्रियों के साथ) उपलब्ध कराया जाए। तीसरी प्रति ए.एन.एम. अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखें। यदि कोई बैक चेक हेतु सत्र पर अवलोकन करने जाता है तो यह प्रति उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर किसी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की टैली शीट जमा नहीं की गई तो उसे आयोजित नहीं माना जाएगा।

- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों की जिला स्तरीय संकलित रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार एवं बृहस्पतिवार की सायं को ई–मेल द्वारा राज्य अधिकारी (संयुक्त निदेशक, यू.आई.पी.) को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा निर्देश का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे। किसी भी दशा में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का अन्य किसी मद में व्यय न किया जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांकः SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, नगरीय, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा0 राजेश झा)
महाप्रबन्धक, एन0यू0एच0एम0

संलग्नक–01

शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए पर्यवेक्षण चेकलिस्ट

जनपद का नाम ———— नगरीय क्षेत्र का नाम ————

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम————

शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस किस स्थल पर आयोजित हो रही है:

1. कियोस्क 2. ऑगनवाड़ी केन्द्र 3. विद्यालय 4. सामुदायिक भवन 5. किसी के घर पर 6. खुले जगह में

यू.एच.एन.डी. दिवस – बुधवार/शनिवार/(1/2/3/4/5)

वार्ड का नाम———— मोहल्ले/स्लम का नाम जहाँ सत्र आयोजित हो रहा है:

ए.एन.एम. का नामः आशा का नामः

ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता का नामः लिंक वर्कर का नाम (यदि आशा चयनित/उपलब्ध नहीं है):

पर्यवेक्षक का नामः–– पर्यवेक्षक का पदः

पर्यवेक्षक की संस्था का नाम (स्वास्थ्य/आई.सी.डी.एस /यूनीसेफ/टी.एस.यू./एन.आई/अन्य) :

पर्यवेक्षक के भ्रमण का दिनांकः –

भाग–कः आवश्यक उपकरण/सामग्री/दवाईयोंकी उपलब्धता

Q1 क्या सभी उपकरण वी०एच०एन०डी० सत्र पर उपलब्ध हैं? Yes/No

Q2 निम्न कौन से उपकरण सत्र पर उपलब्ध नहीं हैं? (ask only if q1 is No)

क्र. सं.	उपकरण/ सप्लाई	क्र. सं.	उपकरण/ सप्लाई
1	वयस्क वजन मशीन	10	आई.एफ.ए. टैबलेट (लाल गोली)
2	बच्चों की वजन मशीन	11	एल्बेन्डोजोल गोली (कमे से कम 5 टैबलेट)
3	रक्तचाप (बी.पी.) मशीन	12	कैल्शियम टैबलेट– 500mg(कम से कम 900 टैबलेट)
4	हीमोग्लोबिन मीटर/टेलीकुइस्ट हीम स्केल/लैनसैट	13	ओ. आर. एस (कम से कम 50 पैकेट– आशा के पास रखो मात्रा मिलाकर)
5	स्टेथोस्कोप	14	जिंक (कम से कम 350 टैबलेट– आशा के पास रखो मात्रा मिलाकर)
6	एम.यू.ए.सी. (MUAC) टेप (बच्चो वाला)	15	पेट की जाँच हेतु अलग से व्यवस्था(टेबल व पर्दे की व्यवस्था होने पर ही हां पर निशान लगाएं)
7	मूत्र परीक्षण किट एव स्ट्रिप –(कम से कम 15 स्ट्रिप– शर्करा व एल्बयूमिन)	16	शौचालय अथवा पेशाब का नमूना लेने के लिए कोइ व्यवस्था की गई हो
8	निश्चय किट (कम से कम 10)	17	आयरन सिरप
9	एम.सी.पी. कार्ड खाली	18	आर.सी.एच. रजिस्टर

भाग–खः आवश्यक वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक की उपलब्धता

Q3 क्या सभी वैक्सीन यू०एच०एन०डी० सत्र पर उपलब्ध हैं? Yes/No

Q4 निम्न कौन से वैक्सीन सत्र पर उपलब्ध नहीं हैं? (ask only if q3 is No)

1	बी.सी.जी.	2	बी.सी.जी. डायल्युएन्ट
3	डी.पी.टी	4	आई.पी.वी.
5	एम.आर.	6	एम.आर. डायल्युएन्ट
7	ओ.पी.वी.	8	टी.टी./टी. डी.
9	जे.ई.	10	जे.ई. डायल्युएन्ट
11	पेन्टावेलेन्ट	12	पी.सी.वी.
13	पैरासिटेमॉल की गोलियाँ/सिरप	14	विटामिन ए का घोल (चम्मच के साथ)
15	ए.डी. सिरीज (0.1 ml.)	16	ए.डी. सिरीज (0.5 ml.)
17	5 एम.एल. रीकन्सटिट्यूशन सिरीज	18	रोटा वायरस
19	लाल व काला बैग	20	हब कटर

Q5- परिवार नियोजन सामग्री की उपलब्धता

1	ECP	हाँ/नहीं
2	OCP	हाँ/नहीं

3	Condom	हाँ / नहीं
4	Chaya	हाँ / नहीं

भाग–गः यू.एच.एन.डी. के दौरान प्रदान की गई सेवाएं

क.सं.	मापदंड	मूल्यांकन
1	क्या यू.एच.एन.डी. सत्र माइक्रोप्लान के अनुसार आयोजित की गयी है।	हाँ / नहीं
2	वैक्सीन एवं टीकाकरण हेतु लॉजिस्टिक किसके द्वारा सत्र पर पहुंचाया गया	ए.एन.एम. / ए.वी.डी.
3	ए.एन.एम. के पास अपडेटेड ड्यू लिस्ट की उपलब्धता	हाँ / नहीं
4	आशा के पास अपडेटेड ड्यू लिस्ट की उपलब्धता	हाँ / नहीं
5	क्या सत्र पर परिवार नियोजन से संबंधित परामर्श दिया गया?	हाँ / नहीं
6	वजन की जांच	हाँ / नहीं
7	हीमोग्लोबिन की जॉच	हाँ / नहीं
8	बी.पी. का माप	हाँ / नहीं
9	मूत्र की जॉच	हाँ / नहीं
10	पेट की जॉच	हाँ / नहीं
11	उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं (एच.आर.पी) की पहचान की जा रही है।	हाँ / नहीं
12	क्या ए.एन.एम द्वारा एम.सी.पी. कार्ड पर दी गई सभी सेवाओ की सूचना भरी जा रही है	हाँ / नहीं / आंशिक
13	क्या गर्भवती महिलाओ को पोषण संबंधी, आई.एफ.ए. एवं कैल्शियम सेवन, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच एवं उपचार, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु से संबंधित देखभाल आदि विषयो पर समह चर्चा या परामर्श दिया जा रहा है?	हाँ / नहीं
यू0एच0एन0डी0 पर बच्चो को दी जाने वाली सेवायें		
14	क्या अति कुपोषित (लाल श्रेणी) बच्चो का पुनः वजन आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा लिया जा रहा है?	हाँ / नहीं / Not Applicable
15	क्या आगंनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा घर ले जाने वाला राशन वितरित किया जा रहा है?	1. Adolscent Girls 2. ANC 3. PNC 4. 6 माह से 3 वर्ष के बच्चो का
16	क्या ए.एन.एम. के द्वारा पहली बार उपयोग करते समय दिनांक एवं समय वायल पर नोट किया गया?	हाँ / नहीं
17	क्या ए.एन.एम. के द्वारा टीकाकरण के पश्चात 4 महत्वपूर्ण संदेशो को लाभार्थियो को दिया जा रहा है ?	हाँ / नहीं

वी.एच.एन.डी / यू.एच.एन.डी..–नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान इस्तेमाल हेतु रिकार्डिंग प्रपत्र (टेलीशीट)

(यह प्रपत्र टीकाकरण सत्र के दौरान स्वास्थ्य कार्यकत्री / टीकाकरण कर्मी द्वारा भरा जायेगा। सत्र समाप्ति के पश्चात् भरे हुये प्रपत्र की एक प्रतिलिपि स्वास्थ्य केन्द्र पर दैनिक रिपोर्ट के रूप में भरी जायेगी)

जनपद–..... ब्लाक / प्लानिंग यूनिट का नाम ..... उपकेन्द्र / अरबन हेल्थ पोस्ट का नाम..... दिवस: बुधवार / शनिवार / अन्य .....

सत्र स्थल का पता ..... शहरी / ग्रामीण .....दिनांक .....सुपरवाइजरका नाम.....लिंक AEFI-प्रबन्धन केन्द्र (CHC/PHC/UHC/ other) का नाम.....

ए.एन.एम. का नाम.....मो.नं.....आशा का नाम.....मो.नं.....ऑगनवाड़ी का नाम .....मो.नं.....

भाग – एक: 0–1 वर्ष की आयु के बच्चे

नोट– नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान, खसरे के टीके के साथ विटामिन ए की खुराक दी जानी है। विटामिन ए की शेष खुराकें जून तथा दिसम्बर माहों में आयोजित होने वाले बाल स्वास्थ्य पोषण माह के दौरान दी जानी है।

क्र. सं	बच्चे का नाम	बच्चे का एम.सी.टी.एस. आई.डी.	लिंग	बच्चे की जन्म तिथि	बच्चे की माता का एम.सी.टी.एस. आई.डी.	लाभार्थी / अभिभावक का मो.नं.	अभिभावक अथवा माता / पिता का नाम	उपलब्ध कराये गये टीके के कालम में सही (✔) का निशान लगायें																			जिंक टेबलेट की संख्या	ओ.आर.एस. पैकेट	अति कुपोषित बच्चे के एम.यू.ए.सी का माप (6 माह–12 माह के बच्चों का माप लिखें)
								एम.सी.पी कार्ड जारी किया (हां / नहीं)	BCG	OPV 0	6 Weeks					10 Weeks			14 Weeks					9-12 Months						
											OPV 1	Penta 1	f IPV 1	RVV 1	PCV 1	OPV 2	Penta 2	RVV 2	OPV 3	Penta 3	f IPV 2	RVV 3	PCV 2	Measles/ MR 1	JE 1	PCV Booster	Vit. A 1			
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
कुल योग		1 वर्ष से कम						पु.																				
								स्त्री																				

वैक्सीन / लाजिस्टि का विवरण	BCG वायल	BCG डाइलूएंट	OPV वायल	Penta वैक्सीन वायल	IPV वायल	PCV वायल	RVV वायल	T.T. वायल	Measles/ MR वायल	Measles/ MR डाइलूएट	J.E. वायल	JE डाइलूएट	DPT वायल	0.1 मिली ए.डी.	0.5 मिली ए.डी. सिरिन्ज	5 मिली डी. सिरिन्ज	Vit. A सिरप	जिंक टेबलेट	ओ.आर.एस. पैकेट
प्राप्त (Unopened)																			
प्रयुक्त / खर्च																			
वापस (Unopened)																			

टीकाकरण कर्मी / ए0एन0एम0 का नाम तथा हस्ताक्षर	आंगनबाड़ी कार्यकत्री का नाम तथा हस्ताक्षर	पर्यवेक्षक का नाम, हस्ताक्षर तथा भ्रमण का समय	

भाग – दो प्रसव पूर्व सेवा (कृपया सेवा प्रदान करने के पश्चात् सही (✓) का निशान लगायें एवं उल्लेख करें।

क्र.स	गर्भवती महिला का नाम और उसका मो.न	गर्भवती महिला का एम.सी.टी.एस आई.डी	गर्भवती महिला के पति का नाम	उम्र	जाति– एस.सी./एस.टी./अन्य	एल.एम.पी.	शीघ्र पंजीकरण	ए.एन.सी. 1	ए.एन.सी. 2	ए.एन.सी. 3	ए.एन.सी. 4	प्रदान की गयी सेवायें: रक्तचाप का माप (mm/Hg)	हीमोग्लोबिन की मात्रा (ग्राम प्रतिशत)	शर्करा एवं एल्बयूमिन हेतु मूत्र की जाँच (√) का निशान लगाए: शर्करा	एल्बयूमिन	पेट की जाँच की गयी (हा/नही)	वजन लिखें (kg)	गर्भवती महिला (TT) दिये गये टीके पर (√) का निशान लगाए: 1	2/बूस्टर	वितरित की गयी लाल आई.एफ.ए. टैबलेट्स की संख्या	वितरित की गयी कैल्शियम टैबलेट्स की संख्या	ऐल्बेन्डाजोल टैबलेट खिलायी गयी (केवल दूसरी तिमाही मे 14–16 सप्ताह के	टी.एच.आर. का वितरण (हा/नही)	जन्म की योजना बनी–गर्भावस्था के तृतीय त्रैमास मे (हा/नही)	अति जोखिम वाली गर्भवती महिलाये (उच्च रक्तचाप–1, मधुमेह–2, ए.पी.एच –3, मलेरिया–4, एनीमिया–5, कोई–6, अन्य–7)	अति जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का सदर्भन (उच्च रक्तचाप–1, मधुमेह–2, ए.पी.एच –3, मलेरिया–4, एनीमिया–5, कोई–6, अन्य–7)
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
कुल योग																										

भाग – तीन 1–5 वर्ष की आयु के बच्चे (कृपया सेवा प्रदान करने के पश्चात् सही (√) का निशान लगायें एवं उल्लेख करें।

क्र.स	बच्चे का नाम	बच्चे का एम.सी.टी.एस आई.डी	अभिभावक अथवा माता/पिता का नाम	बच्चे की जन्म तिथि	टीकाकरण: OPV 1	DPT 1	OPV 2	DPT 2/बू.	OPV 3	DPT 3	DPT Booster 1	OPV Booster	Measles/MR 2	J.E. 2	Vit. A 2nd Dose	DPT Booster 2	कुपोषित बच्चों हेतु सेवायें: टी.एच.आर. का वितरण	कम वजन वाले बच्चो का पुन वजन कर एम.सी.पी. कार्ड मे दर्ज करे	कम वजन वाले बच्चो को दोगुना टी.एच.आर. का वितरण	कम वजन वाले बच्चो का एम.यू.ए.सी. टेप के माध्यम से आशा द्वारा लिया गया माप (माप लिखें)	अति कुपोषित बच्चे का उपचार हेतु सदर्भन	अन्य सेवायें: आयरन सीरप का वितरण	वितरित की गयी जिंक टैबलेट की संख्या	वितरित किये गये ओ.आर.एस पैकेट की संख्या	Amoxycillin का वितरण	परामर्श दिया गया
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
कुल योग			1 वर्ष से अधिक																							

भाग – चार किशोरावस्था स्वास्थ्य सेवायें (10–19 वर्ष)

क्र.स	किशोरी का नाम	पिता का नाम	उम्र	वितरित की गयी ब्लू आई.एफ.ए. की संख्या	TT 10 वर्ष/ 16 वर्ष	सेनीटरी नैपकिन्स पैड का सामाजिक विपणन द्वारा	आर.टी.आई/एस.टी.आई हेतु सदर्भन	टी.एच.आर. का वितरण
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
कुल योग								

भाग – पाँच परिवार नियोजन (परिवार नियोजन सम्बन्धित सामग्रियों का वितरण)/ परिवार नियोजन सेवाओं के लिये सदर्भन

क्र.स	पत्नी का नाम	पति का नाम	उम्र	जाति– एस.सी./एस.टी./अन्य	दी जाने वाली सेवायें	ओ.सी.पी.	कण्डोम	इमरजेन्सी पिल्स	आई.यू.सी.डी./स्थायी विधि हेतु सदर्भन
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
कुल योग									

भाग – छः परामर्श (व्यक्तिगत/समूह)

क्र.स	परामर्श	संख्या
1	प्रसव पूर्व देखभाल एवं आई.एफ.ए. सेवन का महत्व	
2	गर्भवस्था के दौरान खतरे के लक्षण	
3	शीघ्र स्तनपान तथा 6 माह तक केवल स्तनपान का महत्व	
4	जन्म पश्चात 42 दिनों तक धात्री माता एव बच्चे की देखभाल	
5	नवजात शिशु एव धात्री माता मे खतरे के लक्षण की पहचान तथा कमजोर एव बीमार बच्चो हेतु कगारू देखभाल पर जोर	
6	निमोनिया एवं डायरिया बच्चों की पहचान एवं उपचार	
7	परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधन विशेषकर प्रसव पश्चात नसबंदी/पी.पी.आई.यू.सी.डी	
8	मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता एव नीली आई.एफ.ए. टैबलेटस का साप्ताहिक सम्पूरण	
9	विवाह की सही उम्र एवं किशोरावस्था मे शारीरिक एवं मानसिक बदलाव	
10	ए.एन.एम के द्वारा कितने लाभार्थियों को टीकाकरण के पश्चात 4 महत्वपूर्ण सन्देशो को दिया गया।	

भाग – सात अन्य सेवायें

क्र.स	अन्य सेवायें	संख्या
1	डायरिया से ग्रसित बच्चो की संख्या	
2	कुल वितरित किये गये ओ.आर.एस पैकेट्स की संख्या	
3	उन बच्चो की संख्या जिनको जिंक के 14 टैबलेटस वितरित किये गये	
4	डायरिया से ग्रसित बच्चो की संख्या जिनको स्वास्थ्य केन्द्र पर सदर्भित किया गया	
5	निमोनिया से ग्रसित बच्चो की संख्या	
6	निमोनिया से ग्रसित बच्चो की संख्या जिनको स्वास्थ्य केन्द्र पर सदर्भित किया गया	
7	माह मे कुल मातृ मृत्यु की संख्या	
8	माह मे कुल शिशु मृत्यु की संख्या	
9	क्या टीकाकरण के पश्चात (आज या पिछले सत्र मे) किसी भी बच्चे को सम्भावित प्रतिकुल (ए.ई.एफ.आई.) प्रभाव हुआ है। 1 बुखार सूजन 2 उल्टी/दस्त 3 चक्कर्स/लालिमा 4 अस्पताल मे भर्ती 5 मृत्यु	
10	यदि हाँ तो क्या 1. बच्चे का उपचार किया 2 मेडिकल आफिसर को सूचित किया और ए.ई.एफ.आई रजिस्टर में अंकित किया 3. बच्चे को अस्पताल रेफर किया 4.कोई कार्यवाही नही की	

- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों की जिला स्तरीय संकलित रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार एवं बृहस्पतिवार की सायं को ई–मेल द्वारा राज्य अधिकारी (संयुक्त निदेशक, यू.आई.पी.) को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा निर्देश का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे। किसी भी दशा में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का अन्य किसी मद में व्यय न किया जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांकः SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/ 2685-755(10)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, नगरीय, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा0 राजेश झा)
महाप्रबन्धक, एन0यू0एच0एम0